न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा / 36 / 2014 तारीख रजु 6.05.2014

उनवान

राजपाल पुत्र यादराम, वगैरह जाति जाटव निवासी बेडा बनकी तहसील हिण्डौन जिला करौली।

———वादीगण(02)

बनाम

यादराम पुत्र मांग्या वगैरह, जाति जाटव निवासी बेडा बनकी तहसील हिण्डोन जिला करौली।

————प्रतिवादी(11)

उपस्थितिः—

वादी की ओर से :— श्री प्यारे लाल पोहिया एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से :— श्री रघुवीरसिंह एडवोकेट

निर्णय

दिनांक 22.01.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण की ओर वकालतन एक दावा तकास्मा आराजीयात, घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा ग्राम बेडा बनकी तहसील हिण्डोन के खसरा न. 29, 97, 98, 244 / 2 के सम्बंध में पेश किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान वादी वकील को कई बार तलवाना पेश करने के अवसर दिये गये पत्रावली दिनांक 22.01.2020 को तलवी की स्टेज पर पेश हुई । बार—बार आवाज दिलाई गई । पत्रावली वकील उभयपक्ष उपस्थित नहीं आए. जिससे जाहिर होता है कि उभय पक्ष उक्त दावे में कोई रूचि नहीं ले रहा है।

अतः वादी का दावा मुकदमा नंबर 36 / 2014 राजपाल बनाम यादराम अदम पैरवी, अदम हाजिरी एवं अदम तकमील में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 22.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

22.01.2020

(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2020.02.14 12:03:17 IST
Reason: SelfAttested